# कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
## (प्लाट नं. 35—A अरेरा हिल्स, पंजीयन भवन भोपाल—462011)

क्रमांक 2704/तकनीकी/2017 भोपाल, दिनांक 04/07/2017

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/
जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश

विषय— बिल्डर्स द्वारा निष्पादित दस्तावेजों में रेरा पंजीयन कमांक का उल्लेख कराए जाने के संबंध में।

---

म.प्र. भू—संपदा विनियामक प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 26 मार्च 2016 को Real Estate (Regulation And Development) Act, 2016 पारित किया जाकर 1 मई 2017 से प्रदेश सहित देशभर में लागू हो गया है। उक्त अधिनियम कि धारा 3(1) के अनुसार संप्रवर्तक एवं बिल्डर्स को रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन कराये बगैर अपनी संपत्ति की बिक्री किये जाने को प्रतिबंधित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में रेरा अधिनियम के अंतर्गत रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन कराये बगैर की जाने वाली बिक्री को हतोत्साहित करने हेतु परियोजनाओं की संपत्ति के बिल्डर से क्रय होने के मामले में रेरा पंजीयन क्रमांक का बिक्री पत्र में उल्लेख कराया जाना आवश्यक है। कृपया अधीनस्थ सेवा प्रदाताओं को इसके पालन हेतु निर्देशित करें ताकि दस्तावेज प्रारूपण के समय बिल्डर का रेरा पंजीयन क्रमांक अंकित कराया जाना सुनिश्चित हो सके।

रेरा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विक्रय अनुबंध का प्रारूप संपदा प्रणाली में दर्शित प्रारूपों में शामिल किया जा रहा है। अतएव सेवाप्रदाताओं को निर्देशित करें कि बिल्डर से क्रय के मामलों में विक्रय अनुबंध उक्तानुसार निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रारूपित हो। सुलभ संदर्भ हेतु प्रारूप की प्रति संलग्न है।

संलग्न :— उपर्युक्तानुसार

3/7/17

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कमांक 2705/तकनीकी/2017 भोपाल, दिनांक 04/07/2017

प्रतिलिपि —

समस्त उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

3/7/17

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

D:\Data 2016-2017\Technical\Technical Letter 2017.Docx